राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,रामगंज मंडी,(कोटा)
ज़िला - कोटा

राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को दिये जाने वाले समुदाय/वर्ग का प्रमाण-पत्र

क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अल्पसंख्यक समुदाय-वर्ग का प्रमाण-पत्र/19196544856
दिनांक:13-06-2019

प्रार्थना-पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं शपथ-पत्र के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री शोयब खान पुत्र/पुत्री श्री रऊफ मोहम्मद निवासी - 579,छप्पन भोग के पीछे टोडी मोहल्ला खैराबाद, टोडी मोहल्ला, खैराबाद, खैराबाद, कोटा जिला / डिवीज़न कोटा भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.No. 1/11/93-MC(D) दिनांक 23.10.1993 एवं भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.No. 1-1/2009-NCM दिनांक 27.01.2014 तथा राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 19(5) अल्प वक्फ/2014 दिनांक 14.03.2014 द्वारा अधिसूचित राजस्थान राज्य के लिए अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम/ ईसाई/ सिख/ बौद्ध/ पारसी/ जैन की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से MUSLIM (मुस्लिम) वर्ग/समुदाय के/की सदस्य है।

आज दिनांक 13-06-2019 को यह प्रमाण-पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया है|

नोट:

1. राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10054 दिनांक 23.09.2013 द्वारा समुदाय/वर्ग का प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग की मान्यता प्रदान की गयी है।

2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित हैं। अत: सभी कार्यो के लिये मान्य है।

5: प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है| टोकन संख्या : 190205339370

उपखण्ड अधिकारी,रामगंज मंडी,(कोटा)

Signature valid

Digitally signed by
CHIMMAN LAL MEENA
Date: 2019.06.13 17:28:18

ई-मित्र ❖ e-Mitra